# भाग – 2

## (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.............................

| | | |
|---|---|---|
| 1. | परियोजना / स्कीम का स्थान | **ए.डी.बी. लोन –3 अतंर्गत पांडुका, जतमई, घटारानी, गायडबरी, मड़ेली, मुडागाँव मार्ग का चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य निर्माण** |
| i- | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | **छत्तीसगढ़** |
| ii- | जिला | **गरियाबंद** |
| iii- | वन प्रभाग | **गरियाबंद वन मण्डल गरियाबंद** |

iv- वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित राजस्व वन भूमि का क्षेत्र (हे.) **24.569 हे.**

वन की कानूनी स्थिति

1) संरक्षित वन रकबा 9.788 हे.

2) आरक्षित वन रकबा 9.603 हे.

3) राजस्व वन भूमि रकबा 5.178 हे.

v- हरियाली **घनत्व – 0.5 है।**

vi- प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/ जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल.,एफ.एफ.आर.एल. – 2 मी. पर परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाये। **आवश्यक नही है।**

vii- भू–क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी । **भू – क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता सामान्य है। भू–क्षरण की स्थिति निर्मित नहीं होगी।.**

viii- वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी । **आवेदित क्षेत्र वन सीमा से ....0.6.... कि.मी. दूरी पर स्थित है।**

ix- क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व ,बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हॉ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणीयॉ अनुबंधित की जाए ) **आवेदित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग नहीं है।**

x- क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियॉ पाई जाती है यदि हॉ / तो तत्संबंधी ब्यौरा दें। **नहीं**

xi- कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण



Scanned with CamScanner

स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हॉ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हों दें। **नहीं.**

8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग –1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवष्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि हॉ तो , जांचे गये विकलपों के ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ अपेक्षित हो , दें।

**आवेदक संस्था द्वारा मांग की राजस्व वनभूमि/ वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है।**

9. क्या अधिनियम के उल्लधंन में कोई कार्य किया गया है। (हॉ / नहीं ) यदि हॉ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे , क्या उल्लंधन संबंधी कार्य अभी चल रहें है। **नहीं।**

10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा – **संलग्न है पेज क्रं.** 68 - 91

11. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी , भू– खण्डों की संख्या प्रत्येक भू– खण्ड का आकार ।

– **संलग्न है पेज क्रं.** 90.91

i- प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/ अवक्रमित वन क्षेत्र और आसपास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप । – **संलग्न है पेज क्रं.** 90.91

ii- रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। – **संलग्न है पेज क्रं.** 87

iii- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय – **राशि रूपये** 22869212.00

iv- प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र ( संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए ।)

– **संलग्न है पेज क्रं.** 87

v- 11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः कालम 7(xi,xii),8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें )

**आवेदित भूमि में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियॉ नही पायी जाती तथा कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित नही है तथा आवेदक संस्था द्वारा मांग की गई वन भूमि आवश्यकता परियोजनायों के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है तथा अधिनियम के उल्लघन में कोई कार्य नहीं किया गया है।**

12. विभाग/ जिला प्रोफाईल

**परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ0ग0**
**राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना रायपुर संभाग**
**रायपुर लोक निर्माण विभाग सिरपुर भवन**
**रायपुर (छ0ग)**



Scanned with CamScanner

i- जिले का भौगोलिक क्षेत्र — **गरियाबंद जिले की भौगोलिक स्थिति – 5822.86 वर्ग किलोमीटर है।**

ii- जिले का वन क्षेत्र — **गरियाबंद जिले का वन क्षेत्र –2796.03वर्ग किलोमीटर है।**

मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र ।

**स्वीकृत प्रकरण संख्या –12 रकबा 241.075 हे.**

iii- 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक : **संख्या 12 रकबा 551.166**

क. दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि । **निरंक**

ख. वनेत्तर भूमि पर । **निरंक**

iv- तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :

(क). राजस्व भूमि । **रकबा – 101.398 हें.**

(ख) वनेत्तर भूमि पर **रकबा – 449.768 हे.**

v- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव का अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश ।

**छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना द्वारा ए.डी.बी. लोन 3 के अन्तर्गत पांडुका, जतमई, घटारानी, गायडबरी, मड़ेली, मुडागाँव मार्ग का चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य निर्माण प्रस्तावित है।**

**अतः वन भूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।**

मयंक अग्रवाल, (IFS)
वनमंडलाधिकारी
गरियाबंद वनमंडल गरियाबंद (छ.ग.)

स्थान :– गरियाबंद
दिनॉक :– 17/01/2020



Scanned with CamScanner